राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10994/2023

शीशपाल उर्फ संजय कुमार पुत्र जगदीश चंद्र, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी मल्लारखेड़ा पी.एस. टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वर्तमान में के.आर. स्कूल के पास, संगरिया तहसील-संगरिया जिला- हनुमानगढ़।

(वर्तमान में जिला जेल, हनुमानगढ़ में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी के लिए : श्री अचला राम

प्रतिवादी के लिए : श्री विक्रम शर्मा, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

01/03/2024

1. याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस स्टेशन पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज एफआईआर संख्या 85/2023 के अनुसार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में है।

2. जमानत के लिए पहली अर्जी मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना ही निपटा दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस पर जोर नहीं दिया था।

3. सुशील कुमार, एसएचओ थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा की गई जब्ती के आधार पर, आरोपियों के खिलाफ उपर्युक्त एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि 16 फरवरी,

2023 को दोपहर करीब 2:40 बजे सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ जाने वाले मार्ग पर राधा स्वामी डेरा के पास पीलीबंगा थाने के एसएचओ सुशील कुमार ने नाकाबंदी के दौरान एक बस नंबर आरजे-31-पीए-4432 को रोका। संदेह था कि बस में कुछ प्रतिबंधित सामग्री रखी गई थी। बस को संजीव उर्फ संजय कुमार चला रहा था। तलाशी लेने पर बस के लगेज बॉक्स से 342 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद हुआ। संजीव उर्फ संजय कुमार ने बताया कि वह और शीशपाल यह प्रतिबंधित सामग्री लेकर आए थे। शीशपाल रास्ते में ही उतर गया था।

4. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री अचला राम ने जोर देते हुये कहा कि कथित प्रतिबंधित सामग्री संजीव उर्फ संजय कुमार के कब्जे से बरामद की गई थी, जो बस चला रहा था। आवेदक को मौके पर न तो पाया गया और न ही गिरफ्तार किया गया। उसे इस मामले में केवल सह-आरोपी की सूचना पर फंसाया गया है, क्योंकि वह बस का कंडक्टर था। उसे घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया। बरामद प्रतिबंधित सामग्री विशेष रूप से और जानबूझकर उसके कब्जे में नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है; याचिकाकर्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है; अभियोजन पक्ष का मामला ठोस कानूनी सबूतों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. जबकि, विद्वान लोक अभियोजक ने कहा कि ये तथ्यात्मक मुद्दे हैं जिन्हें इस स्तर पर संबोधित नहीं किया जा सकता है और इन्हें केवल ट्रायल के बाद ही निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रतिबंधित पदार्थ संजीव और शिशपाल दोनों ने संयुक्त रूप से हासिल किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि जांच अधिकारी ने मामले में भारी सबूत एकत्र किए हैं जो प्रथम दृष्टया आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं। आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया है; एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रतिबंध स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए, वह याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करता है।

6. आवेदक के विद्वान वकील, विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता न तो मौके पर पाया गया था और न ही बरामदगी के समय उसके पास प्रतिबंधित सामग्री थी; उसे बरामदगी के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया है; केवल सह-आरोपी की सूचना के आधार पर उसे आरोपी के रूप में अभियोजित किया गया है; सह-आरोपी की ऐसी सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है, जिसे प्रथम दृष्टया किसी अन्य आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है; जमानत अस्वीकृति आदेश यह दर्शाता है कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है; मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना है और उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष के मामले को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं और साथ ही यह भी राय है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल नहीं है। याचिकाकर्ता पिछले एक साल से हिरासत में है; जमानत अस्वीकृति आदेश से पता चलता है कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

9. जैसा भी हो, योग्यता पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए, मैं याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए राजी महसूस करता हूं।

10. परिणामस्वरूप, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि पुलिस स्टेशन पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ की एफआईआर संख्या 85/2023 में आरोपी याचिकाकर्ता शिशपाल उर्फ संजय कुमार पुत्र जगदीश चंद्र, जमानत पर रिहा किया जाए; बशर्ते कि वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड और 50,000/- रुपये के दो जमानत बांड प्रस्तुत करे, इस शर्त के साथ कि वह सुनवाई की सभी तिथियों पर और जब भी बुलाया जाए और यदि किसी अन्य मामले में जेल अधिकारियों द्वारा आवश्यक न हो, तो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण अपनी रिहाई के 7 दिन के भीतर तथा जमानतदारगण जमानत प्रस्तुत करने के दिन अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक तथा शाखा का नाम, शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तथा अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति तथा

बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के अन्तर्गत जुर्माना राशि की वसूली सुचारू रूप से की जा सके।

(**राजेंद्र प्रकाश सोनी**),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।